

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर

क्रमांक 335 संस्थापन-1/एमसीए/2019

दिनांक 16.2.19.

नोटिस

इस महाविद्यालय में निम्नलिखित विशिष्टताओं में उनके नाम के सम्मुख अंकित पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा अन्य आदेश जारी होने पर जो भी पहले हो, अस्थायी/आवश्यक आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र. सं.	विशिष्टता	पदनाम			
		सहायक आचार्य	वरि. प्रदर्शक	सीनि. रेजीडेन्ट	जूनि. रेजीडेन्ट
1.	एनेस्थिसिया	3	1
3.	बायोकेमिस्ट्री	2
4.	कम्यूनिटी मेडिसिन	3	1
7.	जनरल मेडिसिन	1	4	2
8.	जनरल सर्जरी	8
10.	प्रसूति एवं स्त्री रोग	1	2	4
11.	नेत्र रोग	1
12.	अस्थि रोग	1 + 2 ट्रोमा अस्थि	2
13.	शिशु रोग	2
14.	पेथोलोजी	2	1
15.	फार्माकोलोजी	1	1
16.	फिजियोलोजी	1	1
18.	रेडियाडायग्नोसिस	8	2
20.	टी.बी.एण्डचेस्ट	2
21.	कार्डियोलोजी	3
22.	सीटीवीएस	2
23.	ईमरजेन्सी मेडिसिन	2	2
24.	गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	1
25.	न्यूरो सर्जरी	1
26.	न्यूरोलोजी	1
27.	पीएमआर	2	1	1
28.	नेफ्रोलोजी	1

29	शिशु सर्जरी	1
30	जिरयाट्रिक मेडिसिन	1	1
31	दन्त रोग विभाग	1

विज्ञापित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी अथवा बढ़ोतरी की जा सकती है।

उक्त पदों की योग्यता एवं अन्य शर्तों का विवरण निम्नुसार है :-

1.	शैक्षणिक योग्यता	सहायक आचार्य एवं सीनियर रेजीडेन्ट के पद हेतु - संबंधित विशिष्टता में एम.डी./एम.एस./डी.एम./एम.सीएच. अथवा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्व/इंडियन मेडिकल काउन्सिल द्वारा निर्धारित समकक्ष योग्यता (मय राजस्थान मेडिकल काउन्सिल अथवा इंडियन मेडिकल काउन्सिल में स्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र) वरिष्ठ प्रदर्शक एवं जूनियर रेजीडेन्ट के पद हेतु - एमबीबीएस (मय राजस्थान मेडिकल काउन्सिल अथवा इंडियन मेडिकल काउन्सिल में स्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र)
2	आयु सीमा	सामान्य विशिष्टता के पदों हेतु अधिकतम 37 वर्ष एवं सुपरस्पेशलिटी विशिष्टता के पदों हेतु अधिकतम 42 वर्ष (राज्य सेवा में सेवारत एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट देय होगी) सीनि. रेजीडेन्ट - 40 वर्ष। जूनि. रेजीडेन्ट - 40 वर्ष।
3	कार्य की अवधि	नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थियों से पद भरे जाने अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो। सीनियर रेजीडेन्ट - एक वर्ष। जूनियर रेजीडेन्ट - एक वर्ष।
4	मानदेय/स्टाईपेण्ड	चयनित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय देय होगा।
5	साक्षात्कार (Walk in interview) की तिथि, समय एवं स्थान	उक्त पदों पर चयन हेतु पदों हेतु प्रत्येक मंगलवार और मंगलवार को अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक के महाविद्यालय स्थित कक्ष में साक्षात्कार के लिए आवेदन दिये जा सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर साक्षात्कार में उपस्थित हो सकते हैं।
6	आवेदन शुल्क	राज्य सरकार के आदेश संख्या प.1(6)एम.ई./गुप-1/2011 दिनांक 21.05.2015 के तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु रु. 1000/- एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु रु. 500/- जो कॉलेज कैशियर के पास आर.एम.आर.एस. मद में नकद जमा करवाकर आवेदन पत्र के साथ रसीद की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण -

1. आवेदन पत्र के साथ अपनी नवीनतम पासपोर्ट आकार की प्रमाणित फोटो।
2. सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु)।
3. शैक्षणिक योग्यता की समस्त अंकतालिकाओं की प्रमाणित प्रतियां मय अटेम्प प्रमाण पत्र एवं इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र।
4. संस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति (आ.एम.सी./एम.सी.आई)।
5. यदि अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग का है, तो जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

6. अनुभव प्रमाण पत्र, यदि हो।
7. महिला अभ्यर्थी के नाम अथवा उपनाम परिवर्तन के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र।
8. यदि अभ्यर्थी पूर्व से राज्य सेवा में कार्यरत है, तो नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
9. आवेदन शुल्क की रसीद की स्वयं द्वारा प्रमाणित छाया प्रति।

उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप में केवल प्रत्येक मंगलवार और मंगलवार को अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवास को प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। मध्याह्न 12.00 बजे बाद साक्षात्कार हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

विशेष परिस्थितियों में साक्षात्कार की तिथि अथवा समय में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसकी सूचना कॉलेज वेबसाइट पर डाल दी जाएगी।

अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी। साक्षात्कार हेतु आने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

चयनित अभ्यर्थी द्वारा बिना सूचना के लम्बे समय से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनकी नियुक्ति बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जायेगी। चयनित अभ्यर्थी एक माह का नोटिस देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेंगे। निर्धारित अवधि का नोटिस नहीं देने की स्थिति में उन्हें एक माह का मानदेय राजकोष में जमा करवाना होगा।

उक्त पदों पर चयनित चिकित्सकों को प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, के निर्देशानुसार कार्य संपादित करना होगा।

उक्त पदों पर नियुक्ति आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किए जायेंगे।

क्रमांक 6531-57.संस्थापन-1/एमसीए/2019

प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक

दिनांक : 16.2.19.

प्रतिलिपि निम्न को भेजकर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर
2. अधीक्षक, ज.ला.ने चिकित्सालय, अजमेर / राजकीय महिला चिकित्सालय, अजमेर।
3. प्रभारी अधिकारी, शैक्षणिक शाखा इस महाविद्यालय को
4. उपरोक्त सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को
5. नोडल अधिकारी, आई.टी. सैल, इस महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को कॉलेज वेबसाइट पर अपलोड करावें एवं आने वाले मंगलवार को दोपहर 12.00 बजे उक्त विज्ञप्ति कॉलेज वेबसाइट से हटवा दें।
6. निजी सहायक, प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक।
7. कैशियर, मेडिकल कॉलेज, अजमेर को भेजकर लेख है कि उक्त पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित शुल्क प्राप्त कर उसे महाविद्यालय के आर.एम.आर.एस. खाते में जमा करावें।
8. महाविद्यालय नोटिस बोर्ड।

प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक